न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1065–एक/13 एवं निग0 999–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–1–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 120/10–11/अपील.

निग0 1065–एक/13

1– श्रीमती रंजना देवी पत्नी बृजेश शर्मा
निवासी रघुनाथ नगर, भिण्ड म.प्र.

2– श्रीमती रमादेवी पत्नी हहिभजन सिंह यादव
निवासी ग्राम मुसावली हाल निवासी ग्राम जामुना
तहसील बीजला भिण्ड म.प्र.

3– श्रीमती कैलाशी पत्नी श्री रामसेवक,
निवासी ग्राम जामुना, तहसील बीजला
जिला भिण्ड म.प्र.

4– श्रीमती सरोज पत्नी बालकृष्ण शर्मा
निवासी महावीरगंज भिण्ड म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला राममूर्ति पत्नी रमेश
निवासी ग्राम जामुना तहसील बीजला
जिला भिण्ड म.प्र

2– श्रीमती शोभा पत्नी बल्लभभाई जैन
निवासी महावीरगंज भिण्ड म.प्र.

3– बल्लभ भाई पुत्र तुलसीराम जैन
निवासी महावीरगंज भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदकगण

निग0 999–एक/13

1. श्रीकालेश्वर शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भिण्ड
द्वारा सचिव संदीप मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा
निवासी वनखण्डेश्वर रोड भिण्ड

2– स्व. महावीर प्रसाद मिश्रा स्मृति शिक्षा एवं
समाज उत्थान समिति भिण्ड द्वारा
सचिव संदीप मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा
निवासी वनखण्डेश्वर रोड भिण्ड ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला राममूर्ति पत्नी रमेश
निवासी ग्राम जामुना तहसील बीजला
जिला भिण्ड म.प्र

2– श्रीमती रंजना देवी पत्नी बृजेश शर्मा
निवासी रघुनाथ नगर, भिण्ड म.प्र.

3– श्रीमती रमादेवी पत्नी हहिभजन सिंह यादव
निवासी ग्राम मुसावली हाल निवासी ग्राम जामुना
तहसील बीजला भिण्ड म.प्र.

4– श्रीमती कैलाशी पत्नी श्री रामसेवक,
निवासी ग्राम जामुना, तहसील बीजला
जिला भिण्ड म.प्र.

5– श्रीमती शोभा पत्नी बल्लभभाई जैन
निवासी महावीरगंज भिण्ड म.प्र.

6– श्रीमती सरोज पत्नी बालकृष्ण शर्मा
निवासी महावीरगंज भिण्ड म.प्र.

7– बल्लभ भाई पुत्र तुलसीराम जैन
निवासी महावीरगंज भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री एस.के. अवस्थी अधिवक्ता (प्र0क0 निग0 1065–एक/13 में आवेदकगण की ओर से एवं प्र0क0 निग0 999–एक/13 में अनावेदक कमांक 2, 3, 4 एवं 6 की ओर से ।

श्री एस.के. वाजपेई, अधिवक्ता (प्र0क0 निग0 999–एक/13 में आवेदकगण की ओर से)

श्री एल.एस.धाकड़, अधिवक्ता (दोनों प्रकरणों में अनावेदक क. 1 की ओर से)

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09-03-15 को पारित)

———

ये निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 20/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 10–1–13 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई हैं । दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने एवं विवादित बिंदु एक होने से इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका क. 1 द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदक कमांक 2 लगायत 4 एवं अनावेदक क. 5 एवं 6 को पक्षकार बनाते हुए प्रश्नाधीन भूमियों के बटवारे हेतु आवेदन दिया । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 5–11–09 को बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 महिला राममूर्ति द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 1–8–11 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध ये निगरानियां इस न्यायालय में पेश की गई हैं । निगरानी इस न्यायालय में निगरानी कमांक 1065–एक/13 पेश की गई है । अपर आयुक्त के पेश की गई है । के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपर आयुक्त ने यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि आवेदक सर्वे नं. 692 के अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं हैं जबकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष सहखातेदार हैं, ऐसी स्थिति में बटवारा आदेशम् हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होते हुए उन्होंने विचारण न्यायालय एवं एस.डी.ओ. को निरस्त कर त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय में अनाावेदक क. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जिसे निरस्त कराने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही कोई कार्यवाही की गई ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील में एकपक्षीय कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है ।

यह तर्क दिया गया कि उपस्थित पक्षकारों ने सहमति से बटवारा चाहा है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का अर्थ अपर आयुक्त ने सही नहीं समझा है । यह कहा गया कि द्वितीय अपील में पक्षकारों का

असंयोजन का दोष होने से अपील निरस्ती योग्य थी । अपर आयुक्त ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है ।

निगरानी कमांक 999–एक/13 के आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों के अलावा यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय से बटवारा आदेश होने के उपरांत उनके द्वारा आवेदकों/अनावेदकों से उन्हें बटवारे में प्राप्त कुछ भूमि कय की है तथा उनका नामांतरण वर्ष 2009 में ही हो गया था । भूमि कय करने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी से व्यपवर्तन की अनुमति प्राप्त कर भवन का निर्माण किया है । इस कारण वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे किंतु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क. 1 ने व्यवहार वाद प्रस्तुत किया है जिसका निराकरण होने पर उसका निर्णय पक्षकारों पर बंधनकारी है । व्यवहार न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवदेक क. 1 रंजनादेवी सर्वे नं. 692 की सहखातेदार नहीं थी इस कारण उसे उक्त सर्वे नंबर का बटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है । संहिता की धारा 178 के तहत बटवारा वही व्यक्ति करा सकता है जो, भूमिस्वामी हो अथवा सहखातेदार हो । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय में प्रकरण 15.10.09 को आपत्ति के जबाव हेतु नियत था और पेशी दिनांक 20.10.09 नियत की गई थी, किंतु जबाव न लेते हुए आदेश आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई । इस कारण अपर आयुक्त ने तहसीलदार एवं एस.डी.ओ. के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि उनका आदेश अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि आवेदिका क. 1 जिसके द्वारा विचारण न्यायालय में जो आवेदन दिया है उसमें उसने अन्य आवेदकों एवं अनावेदकों की भूमि का उल्लेख करते उन्हें पक्षकार बनतो हुए सर्वे नंबर 256 रकबा 0.54 को कब्जे एवं हिस्से अनुसार बटवारे में दिए जाने का निवेदन किया है । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि बटवारे पर केवल अनावेदक

क. 1 द्वारा ही आपत्ति की गई है अन्य सह खातेदारों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है बल्कि सहमति दी गई है । यहां यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा जो बटवारा आदेश पारित किया गया है उसमें सर्वे नं. 692 की भूमि का बटवारा उक्त सर्वे नंबर की भूमि के सहखातेदारों के मध्य ही किया गया है आवेदिका रंजनादेवी जिसके द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन बटवारे हेतु दिया था उसे सर्वे नंबर 692 की नहीं दी गई है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है अतः उनके द्वारा सर्वे नंबर 692 की आवेदिका क. 1 के सहखातेदार न होने के आधार पर विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त करना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है ।

जहां तक अनावेदक अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि विचारण न्यायालय में प्रकरण दिनांक 15.10.09 को आपत्ति पर तर्क हेतु नियत था और दिनांक 20.10.09 तिथि नियत की गई थी किंतु जबाव न लेते हुए अंतिम आदेश पारित कर दिया गया । उनका यह तर्क भी अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय में दिनांक 20.10.09 को आवेदिका के अधिवकता द्वारा अनावेदक क. 1 की आपत्ति का जबाव पेश किया गया है तथा अनावेदक के उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है एवं इसके उपरांत आवश्यक प्रकिया अपनाते हुए दिनांक 5–11–09 को अंतिम आदेश पारित किया गया है । अनावेदक क. 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश को विधि विरूद्ध अथवा अवैधानिक कहना न्यायोचित नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त कर न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोनों निगरानियां स्वीकार की जाती हैं तथा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर